



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022026-270162
CG-DL-E-16022026-270162

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 628]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2026/माघ 17, 1947

No. 628]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2026/MAGHA 17, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2026

का.आ. 662(अ).— यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य में स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, पेरुन्दुरई ग्राम, इरोड जिले में इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए एक आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र में नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित क्षेत्रों को अधिसूचित/ अनधिसूचित किया था: -

क्र. सं.	अधिसूचना सं.	अधिसूचना दिनांक	अधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अनधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	परिणामी क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(i).	का.आ.916(अ)	23.04.2008	105.445	-	105.445
(ii).	का.आ.6475(अ)	26.12.2018	-	26.407	79.038
(iii).	का.आ.267(अ)	17.01.2022	-	9.255	69.783
(iv).	का.आ.1647(अ)	05.04.2023	-	12.942	56.841

और यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में से 1.214 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः, तमिलनाडु सरकार ने पत्र संख्या 491/एमआईबी.1/2025-2 दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 के तहत प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है;

और, यतः, विकास आयुक्त, मेप्पल विशेष आर्थिक जोन ने 1.214 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है। अनधिसूचना के बाद, उक्त भूमि का उपयोग डीटीए उद्देश्य के लिए किया जाएगा;

और, यतः, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) और अन्य संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 1.214 हेक्टेयर के क्षेत्र को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 55.627 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचना के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित एस एफ संख्यायें और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	एस. एफ. संख्या	कुल क्षेत्रफल (एकर्स में)	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	पेरुन्दुरई	256/4 भाग	0.015	0.006
2.		256/7 भाग	0.405	0.164
3.		260/1 भाग	0.190	0.077
4.		260/2 भाग	0.800	0.324
5.		260/3 भाग	0.440	0.178
6.		260/4 भाग	1.150	0.465
कुल			3.000	1.214
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल				55.627

[फा. सं. एफ.1/119/2007-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2026

S.O. 662(E).— Whereas, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Engineering Sector at State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited, Industrial Growth Centre, Perundurai Village, Erode District, in the State of Tamil Nadu;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified/de-notified the following areas at above Special Economic Zone as per the details given below in the table: -

S. No.	Notification No.	Notification Date	Notified Area (in hectares)	De-Notified Area (in hectares)	Resultant Area (in hectares)
(i).	S.O. 916(E)	23.04.2008	105.445	-	105.445
(ii).	S.O. 6475(E)	26.12.2018	-	26.407	79.038
(iii).	S.O. 267(E)	17.01.2022	-	9.255	69.783
(iv).	S.O.1647(E)	05.04.2023	-	12.942	56.841

AND, WHEREAS, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited has now proposed for de-notification of 1.214 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No. 491/MIB.1/2025-2 dated 29th October, 2025;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 1.214 hectares of the above the Special Economic Zone. Further, after the de-notification, the land will be utilized for DTA purpose;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 1.214 hectares of the above Special Economic Zone, thereby making the total area of the Special Economic Zone as 55.627 hectares. The S.F. numbers and area for the de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Name of Village	S. F. No.	Total Area (in Acres)	Total Area (in Hectares)
1.	Perundurair	256/4Pt	0.015	0.006
2.		256/7Pt	0.405	0.164
3.		260/1Pt	0.190	0.077
4.		260/2Pt	0.800	0.324
5.		260/3Pt	0.440	0.178
6.		260/4Pt	1.150	0.465
Total			3.000	1.214
Grand Total Area of SEZ after above deletion				55.627

[F. No. F.1/119/2007-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.